

न्यायपूर्ण (समान) नागरकि संहति

यह एडिटोरियल 24/06/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशित ["Strike a fine balance, have a just civil code"](#) लेख पर आधारित है। इसमें समान नागरकि संहति (UCC) और इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

[मौलिक अधिकार, वधि आयोग, राज्य के नीति निदिशक तत्त्व, समान नागरकि संहति](#)

मेन्स के लिये:

समान नागरकि संहति के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ।

भारत के वधि आयोग (Law Commission of India) ने समान नागरकि संहति (Uniform Civil Code- UCC) के संबंध में सार्वजनिक मत और प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। [UCC](#) भारत में एक अत्यधिक विविदता और राजनीतिक रूप से जवलंत मुद्दा रहा है। UCC पर [वधि आयोग](#) का पूर्व में यह सुख रहा था कि यह न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय। UCC एक प्रस्ताव है जो वभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रसन्नल लोगों को सभी नागरकियों के लिये कानूनों के एक साझा समूह से प्रत्यक्षित करने का लक्ष्य रखता है।

समान नागरकि संहति क्या है?

■ परिचय:

- समान नागरकि संहति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो [राज्य की नीतिके निदिशक तत्त्व](#) (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है।
 - अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि 'राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरकियों के लिये एक समान सविलि संहति प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।'
- ये निदिशक तत्त्व कानूनी रूप से प्रत्यक्षित किये जाते हैं, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।
 - UCC का कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय अखंडता और [लैंगिक न्याय](#) को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में समर्थन किया जाता है तो कुछ लोगों द्वारा इसे धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिये खतरा बताकर इसका विरोध किया जाता है।
- भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरकि संहति लागू है। वर्ष 1961 में पुरतगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाये रखा, जिसे गोवा नागरकि संहति (Goa Civil Code) के रूप में जाना जाता है।
- शेष भारत में धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर वभिन्न प्रसन्नल लोज़ (personal laws) का पालन किया जाता है।

■ भारत में व्यक्तिगत कानून:

- वर्तमान में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और यहूदी भी अपने प्रसन्नल लोगों द्वारा शास्ति होते हैं।
 - व्यक्तिगत कानून धार्मिक पहचान के आधार पर निर्धारित होते हैं।
- संशोधनी हिंदू प्रसन्नल लोगों में अभी भी कुछ पारंपरिक प्रथाएँ शामिल हैं।
- अंतर तब उत्पन्न होते हैं जब हिंदू और मुस्लिम विशेष विवाह अधनियम (Special Marriage Act) के तहत विवाह करते हैं, जहाँ हिंदू अब भी हिंदू प्रसन्नल लोगों द्वारा शास्ति होते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं।

UCC को लागू करने की राह की चुनौतियाँ

■ विविध व्यक्तिगत कानून और पारंपरिक प्रथाएँ:

- भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है।
 - प्रत्येक समुदाय के अपने व्यक्तिगत कानून और रीत-विवाज हैं जो उनके नागरकि मामलों को नियंत्रित करते हैं।
 - ये कानून और प्रथाएँ वभिन्न क्षेत्रों, संप्रदायों और समूहों में व्यापक रूप से भनिन-भनिन हैं।
- ऐसी विविधता के बीच एक समान आधार और एकरूपता पा सकना अत्यंत कठिन एवं जटिल है।
- इसके अलावा, कई व्यक्तिगत कानून संहतिबद्ध या प्रलेखित नहीं हैं, बल्कि भौखिक या लखित स्रोतों पर आधारित हैं जो प्रायः

अस्पष्ट या वरीधाभासी होते हैं।

- धार्मकि और अलपसंख्यक समूहों की ओर से प्रतिशिथ:
 - कई धार्मकि और अलपसंख्यक समूह UCC को अपनी धार्मकि स्वतंत्रता एवं सांस्कृतकि स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।
 - उन्हें भय है कि समान नागरकि संहति एक बहुसंख्यकवादी या समरूप कानून लागू करेगी जो उनकी पहचान एवं विधिता की उपेक्षा करेगी।
 - वे यह तरक भी देते हैं कि UCC अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त उनके संवैधानकि अधिकारों का उल्लंघन करेगी। **अनुच्छेद 25** “अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता” प्रदान करता है।
- राजनीतकि इच्छाशक्ति और सरकारी सम्मतिका अभाव:
 - UCC को लाने और उसे लागू करने के संबंध में सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और नागरकि समाज के बीच राजनीतकि इच्छाशक्ति एवं सरकारी सम्मतिकी कमी है।
 - ऐसी भी आशंकाएँ दर्शकत की गई हैं कि UCC समाज में सांप्रदायकि तनावों और संघर्षों को भड़का सकती है।
- व्यावहारकि कठनिइयाँ और जटिलताएँ:
 - UCC को लागू करने के लिये भारत में प्रचलित विभिन्न प्रसन्नल लॉज और प्रथाओं का मसौदा तैयार करने, उन्हें संहतिबद्ध करने, उनके बीच सामंजस्य लाने और उन्हें तरक्संगत बनाने की व्यापक कवायद की आवश्यकता होगी।
 - इसके लिये धार्मकि नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, महिला संगठनों आदि सहित विभिन्न हतिधारकों के व्यापक प्रामर्श और भागीदारी की आवश्यकता होगी।
 - लोगों द्वारा UCC के अनुपालन और सवीकृतिको सुनिश्चित करने के लिये प्रवरतन एवं जागरूकता के एक सुदृढ़ तंत्र की भी आवश्यकता होगी।

'DIRECTIVE PRINCIPLES CALL FOR UCC'

- SC favours UCC throughout India as envisaged under Article 44 of the Directive Principles in the Constitution
- Cites example of Goa, says the state has a UCC for all irrespective of their religion and no provision for triple talaq
- Says Muslim men whose marriages are registered in Goa cannot practise polygamy
- Says no attempt made to frame a UCC despite SC appeals in Shah Bano and Sarla Mudgal cases
- Hindu laws codified in 1956

“ It is interesting to note that whereas the founders of the Constitution in Article 44 in Part IV dealing with Directive Principles of state policy had hoped and expected that the state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territories of India, till date no action has been taken in this regard

—SUPREME COURT BENCH

II

UCC के लाभ

- राष्ट्रीय एकता और धर्मनियेक्षता:
 - समान नागरकि संहति सभी नागरकिं के बीच एक समान पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनियेक्षता को बढ़ावा देगी।
 - इससे विभिन्न प्रसन्नल लॉज के कारण उत्पन्न होने वाले सांप्रदायकि और पंथ-संबंधी विवादों में भी कमी आएगी।
 - यह सभी के लिये समानता, बंधुता और गरमिं के संवैधानकि मूल्यों को भी संपुष्ट करेगी।
- लैंगिकि न्याय और समानता:
 - समान नागरकि संहति विभिन्न प्रसन्नल लॉज के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करके लैंगिकि न्याय एवं समानता सुनिश्चित करेगी।
 - यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण-पोषण आदि भामलों में महिलाओं को समान अधिकार और दरजा प्रदान करेगी।
 - यह महिलाओं को उन परिस्तितात्मक और प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने के लिये भी सशक्त बनाएगी जो उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- कानूनी प्रणाली का सरलीकरण और युक्तिकरण:
 - समान नागरकि संहति विभिन्न प्रसन्नल लॉज की जटिलताओं और वरीधाभासों को दूर करके कानूनी प्रणाली को सरल और युक्तिसिंगत बनाएगी।
 - यह विभिन्न प्रसन्नल लॉज के कारण उत्पन्न होने वाली विसिंगतियों और खामियों को दूर करके नागरकि और आपराधकि कानूनों में सामंजस्य स्थापति करेगी।
 - यह कानून को आम लोगों के लिये अधिकि सुलभ और समझने योग्य बनाएगी।
- पुरानी एवं प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार:
 - समान नागरकि संहति कुछ प्रसन्नल लॉज में प्रचलित पुरानी एवं प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और इसमें सुधार करेगी।

- यह उन प्रथाओं को समाप्त कर देगी जो भारत के संविधान में नहिति मानव अधिकारों और मूल्यों के वरिद्ध हैं, जैसे तीन तलाक़, बहुविवाह, बाल विवाह, आदि।
- यह बदलती सामाजिक वास्तवकिताओं और लोगों की आकांक्षाओं को भी समायोजित करेगी।

UCC से संबंधित कुछ महत्वपूरण प्रकरण

- शाह बानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान (1985):
 - सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महली के लिये इददत अवधि की समाप्ति के बाद भी आपराधिक प्रक्रिया संहति (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पत्ते से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार की पुष्टि की।
 - न्यायालय ने माना कि समान नागरिक संहति विचारधाराओं पर आधारित वरिधाराओं को दूर करने में मदद करेगी।
- सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995):
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हट्टी पत्ते अपनी पहली शादी को समाप्त कर्या बनी इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी महली से विवाह नहीं कर सकता।
 - इस मामले में भी कहा गया कि UCC इस तरह के धोखाधड़ीपूरण धर्मांतरण और द्वविवाह की घटनाओं पर रोक लगाएगी।
- शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):
 - सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक और मुस्लिम महलीओं की गरमी एवं समानता का उल्लंघन करार दिया।
 - इसने यह अनुशंसा भी की कि संसद को मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने के लिये एक कानून का निर्माण करना चाहिये।

आगे की राह

- एकता और एकरूपता:
 - अनुशंसित समान नागरिक संहति को भारत के बहुसंस्कृतविद (multiculturalism) को प्रतिबिविति करने और इसकी विविधता को संरक्षित करने में सक्षम होना चाहिये।
 - एकता (Unity) एकरूपता (uniformity) से अधिक महत्वपूरण है।
 - भारतीय संविधान सांस्कृतिक मतभेदों को समायोजित करने के लिये एकीकरणवादी और नयिंत्रिति, दोनों तरह के बहुसंस्कृतिक दृष्टिकोणों की अनुमति देता है।
- हतिधारकों के साथ चर्चा और विचार-विवरण:
 - इसके अलावा, समान नागरिक संहति को विकसित करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया में धारमकि नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों एवं समुदाय के प्रतिनिधियों सहित सभी हतिधारकों को शामिल कर्या जाना चाहिये।
 - इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि समान नागरिक संहति में वभिन्न समूहों के विविध दृष्टिकोण एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है और इसे सभी नागरिकों द्वारा निष्पक्ष एवं वैध माना जाता है।
- संतुलन का निर्माण:
 - विधिआयोग का लक्ष्य केवल उन प्रथाओं को समाप्त करना होना चाहिये जो संवैधानिक मानकों को पूरा नहीं करती हैं।
 - सांस्कृतिक प्रथाओं को वास्तवकि समानता और लैंगिक न्याय लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिये।
 - विधिआयोग को वभिन्न समुदायों के बीच प्रतिक्रियाशील संस्कृतविद में योगदान करने से परहेज करने की आवश्यकता है।
 - मुस्लिम उलेमाओं को भेदभावपूरण एवं दमनकारी मुद्दों की पहचान करके और प्रगतशील विचारों को अवसर देकर मुस्लिम प्रसन्न लोगों में सुधार प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिये।
- संवैधानिक परिप्रेक्ष्य:
 - भारतीय संविधान सांस्कृतिक स्वायत्तता के अधिकार की पुष्टि करता है और सांस्कृतिक समायोजन का लक्ष्य रखता है।
 - अनुच्छेद 29(1) सभी नागरिकों की विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण करता है।
 - मुस्लिमों को यह विचार करने की ज़रूरत है कि बहुविवाह और मनमाने ढंग से एकतरफा तलाक जैसी प्रथाएँ उनके सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हैं या नहीं।
 - हमारा ध्यान एक ऐसी न्यायसंगत संहति पराप्त करने पर होना चाहिये जो समानता और न्याय को बढ़ावा दे।

अभ्यास प्रश्न: भारत में समान नागरिक संहति (UCC) को लागू करने के संवैधानिक, विधिक और सामाजिक-सांस्कृतिक नहितिराठों का विश्लेषण कीजिये। UCC की चुनौतियों और अवसरों को लोकतांत्रिक एवं धरमनियनिक तरीके से कैसे संबोधित कर्या जा सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विवित वर्ष प्रश्न (PYQ)

?/?/?/?/?/?/?/?/?

प्रश्न. भारत के संविधान में नहिति राज्य के नीति निदिशक सदिधार्तों के तहत नियन्त्रिति प्रावधानों पर विचार कीजिये: (2012)

1. भारत के नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहति सुनिश्चित करना
2. ग्राम पंचायतों का गठन

3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना
4. सभी शर्मकिं के लिये उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना

उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सदिधांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सदिधांतों में परलिक्षित होते हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून लागू करने के मामले में अनियंत्रित विकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है?

- (a) अनुच्छेद 14
- (b) अनुच्छेद 28
- (c) अनुच्छेद 32
- (d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a)

[?/?/?/?/?]

प्रश्न. उन संभावित कारकों पर चर्चा कीजिये जो भारत को अपने नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहति लागू करने से रोकते हैं, जैसा कि राज्य के नीति निर्देशक सदिधांतों में प्रदान किया गया है। (मुख्य परीक्षा, 2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtilas.com/hindi/printpdf/just-uniform-civil-code>

